भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3188**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पोषण को पूरा किये जाने हेतु व्यय में वृद्धि**

**3188. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के पूरक पोषण घटक के तहत प्रत्येक लाभार्थी पर व्यय की जाने वाली धनराशि में मामूली वृद्धि को हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश में आईसीडीएस के तहत चलाई जा रहीं 14 लाख आंगनवाड़ियों के माध्यम से तीन वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को घर ले जाने के लिए राशन दिया जाता है; और

(घ) क्या तीन से छह वर्ष की आयु वाले बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन खाने के लिए दिया जाता है?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्‍टूबर 2017 में योजना के तहत पूरक पोषण के लागत संबंधी मानदंडों को संशोधित किया जो इस प्रकार है :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.**  | **श्रेणी** | **पुरानी दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी रुपये में)**  | **संशोधित दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी रुपये में)** |
| 1 | बच्‍चे (6-72 माह)  | 6.00  | 8.00  |
| 2 | गर्भवती महिलाएं एवं धात्री मातएं  | 7.00  | 9.50  |
| 3  | गंभीर रूप से कुपोषित बच्‍चे (6-72 माह)  | 9.00  | 12.00  |

(ग) और (घ) : जी हां। तथापि 6 माह तक की आयु के शिशुओं को घर पर केवल स्‍तनपान कराने की सलाह दी जाती है।

\*\*\*\*\*